



समय-सीमा

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक : 598 वित्त / 2018

रायपुर, दिनांक : 27 / 11 / 2018

प्रति,

समस्त अध्यक्ष / विभाग प्रमुख
..... अध्ययनशाला / विभाग
पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय
रायपुर (छ.ग.)

विषय :- वित्तीय वर्ष 2018-2019 कर निर्धारण वर्ष 2019-2020 आयकर की कटौती विषयक।

विषयांतर्गत सूचित करना है कि वित्तीय वर्ष 2018-2019 वेतन शीर्ष एवं अन्य स्रोतों से प्राप्त होने वाले आय का एवं आयकर छूट के लिए निवेश राशि का उल्लेख करते हुए वास्तविक आयकर की गणना हेतु अपने अधीनस्थ सभी अधिकारियों/शिक्षकों एवं कर्मचारियों को कृपया निर्देशित करें कि वे वित्त विभाग से गणना पत्रक प्राप्त कर स्वतः आय-आंकलन प्रपत्र दिनांक 05 जनवरी, 2019 तक वित्त विभाग में अनिवार्य रूप से जमा कर दें ताकि सभी वर्ग के कर्मचारियों के माह जनवरी एवं फरवरी, 2019 के वेतन से देय आयकर की कटौती की जा सके।

जिनकी गणना पत्रक दिनांक 05 जनवरी, 2019 तक अप्राप्त रहेगी उनकी देय आयकर की कटौती आयकर अधिनियम 1961 की धारा 192 के तहत वेतन आहरण एवं वितरण अधिकारी को प्रदत्त उत्तरदायित्व के तहत माह जनवरी एवं फरवरी, 2019 के वेतन से वित्त विभाग के वेतन शाखा द्वारा स्वतः आंकलन कर कटौती कर दी जायेगी और इसका उत्तरदायित्व संबंधितों की होगी।

आयकर विभाग के मांग के अनुसार गणना पत्रक प्रस्तुत करते समय सभी अधिकारी/शिक्षक एवं कर्मचारी अपना स्थायी लेखा संख्या (PAN) का उल्लेख करते हुए स्थायी लेखा संख्या पत्र (PAN CARD) की छाया प्रति एवं आयकर छूट के लिए निवेश राशि से संबंधित समस्त दस्तावेज की छायाप्रति निश्चित रूप से संलग्न कर प्रस्तुत करेंगे।

(डॉ० संदीप वनसूत्रे)
कुलसचिव



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर
आयकर गणना प्रपत्र वित्तीय वर्ष 2018-2019
कर निर्धारण वर्ष 2019-2020

नाम कर्मचारीपद

आयकर स्थायी लेखा क्रमांक (PAN)

(आयकर विभाग के मांग अनुसार स्थायी लेखा संख्या (PAN CARD) की छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य है)

- सकल वेतन (समस्त भत्तों तथा एरियर्स राशि सहित)रु.
- मुक्त आवासीय सुविधा US 17 (2) (यदि कर्मचारियों को निम्नलिखित परिलब्धियां मिलती हों तो उसका मूल्यांकन कर वेतन शीर्ष अंतर्गत जोड़ना है) फार्म नं. 12 संलग्न करना अनिवार्य है
 - मुक्त आवासीय सुविधा रु.
(कुल वेतन का 10%)
 - निजी उपयोग परिवहन सुविधा, फर्निचर सुविधा रु.
(फर्निचर आदि की मूल कीमत का 10:)
 - मुक्त घरेलू नौकर/माली/चौकीदार सुविधा रु.
योग (12) रु.
- घटाइए –
 - गृह भाड़ा भत्ता (मकान भाड़ा रसीद संलग्न करने पर)
 - वास्तविक गृह भाड़ा भत्ता रु.
 - वेतन के 10% से अधिक अदा किया गया किराया रु.
 - वेतन का 40% रु.
(उपरोक्त गणना में जो कम हो, उस पर छूट प्राप्त होगी)
 - वाहन भत्ता (अधिकतम रु. 800 प्रतिमाह) रु.
 - अन्य भत्ते (विवरण सहित) रु.
 - मानक कटौती U/S 16 (ia) रु.
(अधिकतम रु0 40000/- तक)
योग (अ + ब + स + द) रु.
- वेतन से कुल आय (1+2-3) रु.
- मकान ऋण पर देय ब्याज की राशि रु.
(अधिकतम रु. 2,00,000 तक)
योग (4-5) रु.
- अन्य स्रोतों से आय –
 - विभिन्न निवेशों से प्राप्त ब्याज की राशि रु.
 - परीक्षा/अन्य पारिश्रमिक/कमीशन की राशि रु.
 - गृह सम्पत्ति से आय रु.
- कुल सकल आय (5+6) रु.
- घटाइए –(Under Chapter VI-A)
 - धारा 80-C के अधीन छूट
 - सामान्य भविष्य निधि में अंशदान – रु.
(अग्रिम के विरुद्ध वापसी शामिल नहीं होगी)
 - भारतीय जीवन बीमा प्रीमियम – रु.
 - समूह बीमा योजना या परिवार कल्याण निधि योजना- रु.
 - राष्ट्रीय बचत पत्र – रु.
 - राष्ट्रीय बचत पत्र पर ब्याज की राशि – रु.
(प्रथम पांच वर्ष पर)
 - लोक भविष्य निधि (पी.पी.एफ.) – रु.
 - भारतीय यूनिट ट्रस्ट की यूलिप प्लान – रु.
 - गृह निर्माण ऋण की वापसी – रु.
 - टैक्स सेविंग्स म्युचुअल फंड में निवेश (E.L.S.S.) – रु.
 - बैंक/डाकघर में स्थाई जमा (एफ.डी.आर.) – रु.
 - सुकन्या समृद्धि खाते में निवेश – रु.
 - टयूशन फीस (दो बच्चों की) – रु.
 - जीवन पेंशन सुरक्षा पालिसी 80-CCC – रु.
 - धारा 80-C एवं 80-CCC के अधीन बचत का कुल योग – रु.
(अधिकतम रु. 1,50,000/- तक)

